12/11/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/ आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का दिनांक 10.06.2022 को विधिवत सीमाज्ञान भी करवा लिया है। सीमा विवाद ना हो इसलिए प्रार्थी अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2022 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का गोविन्दपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 1.48 है. प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अर्थात प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा उन्हे अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने का कानूनन पूर्ण अधिकार है। अतः प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक सन्तुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का गोविन्दपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 1.48 है. की चर्तुसीमाओं की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 10.06.2022 के पत्थरगढी की जावें। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner